

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :- 32/2017

निर्णय दिनांक:- 24.06.2019

उनवान

1. सलोनी पुत्री संजय जाति बैरवा उम्र 12 वर्ष निवासी खण्डवा तह. निवाई जिला टोंक नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सीमा देवी बैरवा पत्नि संजय बैरवा निवासी ग्राम खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. निकिता पुत्री संजय जाति बैरवा उम्र 10 वर्ष निवासी खण्डवा तह. निवाई जिला टोंक नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सीमा देवी बैरवा पत्नि संजय बैरवा निवासी ग्राम खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. मानसी पुत्री संजय जाति बैरवा उम्र 08 वर्ष निवासी खण्डवा तह. निवाई जिला टोंक नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सीमा देवी बैरवा पत्नि संजय बैरवा निवासी ग्राम खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. दिपशिखा पुत्री संजय जाति बैरवा उम्र 12 वर्ष निवासी खण्डवा तह. निवाई जिला टोंक नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सीमा देवी बैरवा पत्नि संजय बैरवा निवासी ग्राम खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक राज.

-वादीगण

बनाम

1. संजय पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा निवासी खण्डवा तह0 निवाई जिला टोंक हाल निवासी प्लाट नं. 41ए, शिवम विहार कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के सामने शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर
2. तहसीलदार निवाई

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राजात एवं स्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थित:- श्री रामावतार शर्मा वकील वादीगण

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:-

यह कि आराजी ख.नं. 606 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 81/3 रकबा 1-10 बीघा, ख.नं. 311 रकबा 1-18 बीघा, ख.नं. 312 रकबा 5-07 बीघा, ख.नं. 315 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 317 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 326/2 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 326/4 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 316 रकबा 0-09 बीघा, ख.नं. 318 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 1050 रकबा 2-15 बीघा, ख.नं. 168 रकबा 5-12 बीघा, ख.नं. 169 रकबा 10-14 बीघा, ख.नं. 170 रकबा 6-09 बीघा, ख.नं. 171 रकबा 0-06 बीघा, ख.नं. 172 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 173 रकबा 49-00 बीघा, ख.नं. 174 रकबा 09-06 बीघा, ख.नं. 176 रकबा 86-08 बीघा, ख.नं. 215 रकबा 05-03 बीघा वाके ग्राम खण्डवा तहसील निवाई व ख.नं. 3 रकबा 03-10 बीघा, ख.नं. 5 रकबा 04-03 बीघा, ख.नं. 11

47E:\ACEM\Court\Faisle\Faisale.docx25

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) निवाई

रकबा 04-00 बीघा वाके ग्राम नला तहसील निवाई में स्थित है। जो वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। तथा वादीगण का भी प्रतिवादी सं. 1 के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि में ब. हिस्सा बराबर-बराबर हिस्से की भूमि का हक व हिस्सा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपने पिता के हिस्से की भूमि में पिता के हिस्से के साथ-साथ उपरोक्त वर्णित भूमि में ब. हिस्सा बराबर-बराबर हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं. 1 आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति है तथा शराब के नशे पते में अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु एवं वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ जाने से व प्रतिवादी सं. 1 की नियत में खोटा आ जाने से प्रतिवादी सं. 1 वादीगण की उपरोक्त वर्णित पुश्तैनी भूमि को बेईमानी पूर्वक अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने से उपरोक्त वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द करके हस्तांतरण करने पर आमामदा है। जिसका प्रतिवादीगण अकेले को विक्रय करने व खुर्द बुर्द करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः दावा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर डिक्री सादिर फरमाया जावे कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 बाबत उद्घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी ख.नं. 606 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 81/3 रकबा 1-10 बीघा, ख.नं. 311 रकबा 1-18 बीघा, ख.नं. 312 रकबा 5-07 बीघा, ख.नं. 315 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 317 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 326/2 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 326/4 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 316 रकबा 0-09 बीघा, ख.नं. 318 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 1050 रकबा 2-15 बीघा, ख.नं. 168 रकबा 5-12 बीघा, ख.नं. 169 रकबा 10-14 बीघा, ख.नं. 170 रकबा 6-09 बीघा, ख.नं. 171 रकबा 0-06 बीघा, ख.नं. 172 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 173 रकबा 49-00 बीघा, ख.नं. 174 रकबा 09-06 बीघा, ख.नं. 176 रकबा 86-08 बीघा, ख.नं. 215 रकबा 05-03 बीघा वाके ग्राम खण्डवा तहसील निवाई व ख.नं. 3 रकबा 03-10 बीघा, ख.नं. 5 रकबा 04-03 बीघा, ख.नं. 11 रकबा 04-00 बीघा वाके ग्राम नला तहसील निवाई वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की भूमि में ब. हिस्सा बराबर-बराबर भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अमल किया जावे।


दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी की ओर से वादी PW1 सीमा देवी, PW2 प्रहलाद व PW3 लक्ष्मीनारायण के शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रा.पत्र बाबत मंसूख किये जाने एकतरफा कार्यवाही पेश हुआ। जिसको वाद बहस अंतिम में जैरकार होने के कारण खारिज किया गया।

वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी। वकील वादी ने प्रस्तुत वाद का दोहरान करते हुए बहस में बताया कि आराजी ख.नं. 606 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 81/3 रकबा 1-10 बीघा, ख.नं. 311 रकबा 1-18 बीघा, ख.नं. 312 रकबा 5-07 बीघा, ख.नं. 315 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 317 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 326/2 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 326/4 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 316 रकबा 0-09 बीघा, ख.नं. 318 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 1050 रकबा 2-15 बीघा, ख.नं. 168 रकबा 5-12 बीघा, ख.नं. 169 रकबा 10-14 बीघा, ख.नं. 170 रकबा 6-09 बीघा, ख.नं. 171 रकबा 0-06 बीघा, ख.नं. 172 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 173 रकबा 49-00 बीघा, ख.नं. 174 रकबा 09-06 बीघा, ख.नं. 176 रकबा 86-08 बीघा, ख.नं. 215 रकबा 05-03 बीघा वाके ग्राम खण्डवा तहसील निवाई व ख.नं. 3 रकबा 03-10 बीघा, ख.नं. 5 रकबा 04-03 बीघा, ख.नं. 11 रकबा 04-00 बीघा वाके ग्राम नला तहसील निवाई में स्थित है। जो वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। तथा वादीगण का भी प्रतिवादी सं. 1 के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि में ब. हिस्सा बराबर-बराबर हिस्से की भूमि का हक व हिस्सा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपने पिता के हिस्से की भूमि में पिता के हिस्से के साथ-साथ उपरोक्त वर्णित भूमि में

ब. हिस्सा बराबर-बराबर हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं. 1 आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति है तथा शराब के नशे पते में अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु एवं वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ जाने से व प्रतिवादी सं. 1 की नियत में खोटा आ जाने से प्रतिवादी सं. 1 वादीगण की उपरोक्त वर्णित पुश्तैनी भूमि को बेईमानी पूर्वक अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने से उपरोक्त वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द करके हस्तांतरण करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण अकेले को विक्रय करने व खुर्द बुर्द करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः निवेदन है कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 बाबत उद्घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी ख.नं. 606 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 81/3 रकबा 1-10 बीघा, ख.नं. 311 रकबा 1-18 बीघा, ख.नं. 312 रकबा 5-07 बीघा, ख.नं. 315 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 317 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 326/2 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 326/4 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 316 रकबा 0-09 बीघा, ख.नं. 318 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 1050 रकबा 2-15 बीघा, ख.नं. 168 रकबा 5-12 बीघा, ख.नं. 169 रकबा 10-14 बीघा, ख.नं. 170 रकबा 6-09 बीघा, ख.नं. 171 रकबा 0-06 बीघा, ख.नं. 172 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 173 रकबा 49-00 बीघा, ख.नं. 174 रकबा 09-06 बीघा, ख.नं. 176 रकबा 86-08 बीघा, ख.नं. 215 रकबा 05-03 बीघा वाके ग्राम खण्डवा तहसील निवाई व ख.नं. 3 रकबा 03-10 बीघा, ख.नं. 5 रकबा 04-03 बीघा, ख.नं. 11 रकबा 04-00 बीघा वाके ग्राम नला तहसील निवाई वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की भूमि में ब. हिस्सा बराबर-बराबर भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अमल किया जावे।

एकतरफा बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रदर्श-1 ता प्रदर्श-5 में प्रतिवादी सं. 1 के पिता के पश्चात् विरासत का नामान्तरण अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं.1 की पुश्तैनी भूमि है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपने पिता के हिस्से की भूमि में पिता के हिस्से के साथ-साथ उपरोक्त वर्णित भूमि में ब. हिस्सा बराबर-बराबर हक व हिस्सा निहित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा वादग्रस्त आराजी ख.नं. 606 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 81/3 रकबा 1-10 बीघा, ख.नं. 311 रकबा 1-18 बीघा, ख.नं. 312 रकबा 5-07 बीघा, ख.नं. 315 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 317 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 326/2 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 326/4 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 316 रकबा 0-09 बीघा, ख.नं. 318 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 1050 रकबा 2-15 बीघा, ख.नं. 168 रकबा 5-12 बीघा, ख.नं. 169 रकबा 10-14 बीघा, ख.नं. 170 रकबा 6-09 बीघा, ख.नं. 171 रकबा 0-06 बीघा, ख.नं. 172 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 173 रकबा 49-00 बीघा, ख.नं. 174 रकबा 09-06 बीघा, ख.नं. 176 रकबा 86-08 बीघा, ख.नं. 215 रकबा 05-03 बीघा वाके ग्राम खण्डवा तहसील निवाई व ख.नं. 3 रकबा 03-10 बीघा, ख.नं. 5 रकबा 04-03 बीघा, ख.नं. 11 रकबा 04-00 बीघा वाके ग्राम नला तहसील निवाई वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की भूमि में ब. हिस्सा बराबर-बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार निवाई को तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अमल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


जे.पी.बैरवा

सहायक कलेक्टर (फैसल निवाई)

सहायक कलेक्टर (फैसल निवाई) निवाई

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)
(डिक्री मुकदमा इबादाई)

उनवान

1. सलोनी पुत्री संजय जाति बैरवा उम्र 12 वर्ष निवासी खण्डवा तह. निवाई जिला टोंक नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सीमा देवी बैरवा पत्नि संजय बैरवा निवासी ग्राम खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. निकिता पुत्री संजय जाति बैरवा उम्र 10 वर्ष निवासी खण्डवा तह. निवाई जिला टोंक नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सीमा देवी बैरवा पत्नि संजय बैरवा निवासी ग्राम खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. मानसी पुत्री संजय जाति बैरवा उम्र 08 वर्ष निवासी खण्डवा तह. निवाई जिला टोंक नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सीमा देवी बैरवा पत्नि संजय बैरवा निवासी ग्राम खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. दिपशिखा पुत्री संजय जाति बैरवा उम्र 12 वर्ष निवासी खण्डवा तह. निवाई जिला टोंक नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सीमा देवी बैरवा पत्नि संजय बैरवा निवासी ग्राम खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक राज.

—वादीगण

बनाम

1. संजय पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा निवासी खण्डवा तह0 निवाई जिला टोंक हाल निवासी प्लाट नं. 41ए, शिवम विहार कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के सामने शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर
2. तहसीलदार निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राजात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्या:-32/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जे.पी. बैरवा आर0ए0एस0 ब. हाजरी श्री रामावतार शर्मा वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा वादग्रस्त आराजी ख.नं. 606 रकबा 0-14 बीघा, ख.नं. 81/3 रकबा 1-10 बीघा, ख.नं. 311 रकबा 1-18 बीघा, ख.नं. 312 रकबा 5-07 बीघा, ख.नं. 315 रकबा 0-16 बीघा, ख.नं. 317 रकबा 0-12 बीघा, ख.नं. 326/2 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 326/4 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 316 रकबा 0-09 बीघा, ख.नं. 318 रकबा 2-00 बीघा, ख.नं. 1050 रकबा 2-15 बीघा, ख.नं. 168 रकबा 5-12 बीघा, ख.नं. 169 रकबा 10-14 बीघा, ख.नं. 170 रकबा 6-09 बीघा, ख.नं. 171 रकबा 0-06 बीघा, ख.नं. 172 रकबा 0-02 बीघा, ख.नं. 173 रकबा 49-00 बीघा, ख.नं. 174 रकबा 09-06 बीघा, ख.नं. 176 रकबा 86-08 बीघा, ख.नं. 215 रकबा 05-03 बीघा वाके ग्राम खण्डवा तहसील निवाई व ख.नं. 3 रकबा 03-10 बीघा, ख. नं. 5 रकबा 04-03 बीघा, ख.नं. 11 रकबा 04-00 बीघा वाके ग्राम नला तहसील निवाई वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की भूमि में ब. हिस्सा बराबर-बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार निवाई को तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम अमल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 06 सन् 2019 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
निवाई (टोंक)
(फास्ट ट्रेक) निवाई